दक्षिण अफ्रीका गणराज्य सरकार

तथा

भारत गणराज्य सरकार

के बीच

विमान सेवा करार

प्रस्तावना

भारत गणराज्य की सरकार तथा दक्षिण अफ्रीका गणराज्य की सरकार (जिन्हें एतद्‌पश्चात संयुक्त रूप से 'पक्षों' तथा एक रूप से 'पक्ष' कहा गया है)

7 दिसम्बर 1944 को शिकागो में हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किए गए अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय के पक्ष होन के नाते;

दो देशों के लोगों के बीच मित्रता, आपसी समझ एवं सहयोग के सृजन एवं संरक्षण के माध्यम के रूप में विमान परिवहन के महत्व को पहचानते हुए;

अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन की प्रगति में योगदान की इच्छा से;

अपने संबंधित क्षेत्रों के बीच विमान सेवाएं स्थापित करने के उद्देश्य से करार को पूरा करने की इच्छा से;

निम्न प्रकार से सहमत हुए हैं-

अनुच्छेद-एक
परिभाषा

इस करार के प्रयोजनार्थ, जहाँ पाठ में अन्यथा अपेक्षा नहीं की गई है-

"वैमानिकी प्राधिकारी" का आशय दक्षिण अफ्रीका गणराज्य सरकार के मामले में नागर विमानन के लिए उत्तरदायी मंत्री तथा भारत के मामले में, नागर विमानन महानिदेशक के माध्यम से नागर विमानन मंत्रालय अथवा दोनों मामलों में कोई अन्य प्राधिकारी अथवा निकाय से है जिन्हें अब संबंधित प्राधिकारियों द्वारा किया जा रहा है अब इसे प्राधिकृत किया गया है;

"सहमत सेवा" का अर्थ, सहमत क्षमता हकदारी के अनुसार, यात्रियों, सामान, कार्गो और डाक के वहन के लिए इस प्रकार के उपबंध में निर्दिष्ट मार्गों पर किसी अनुसूचित अन्तरराष्ट्रीय विमान सेवा से है;

"करार" का आशय इस करार, इसके अनुबंध तथा इसमें किये गये किसी भी संशोधन से है;

"विमानसेवा", "अन्तरराष्ट्रीय विमानसेवा", एयरलाइन और "गैर यातायात प्रयोजनों के लिए रूकना" शब्द से अभिप्राय वही है जैसा अभिसमय के अनुच्छेद 96 में इसके लिए दिया गया है;

"अधिसमय" का आशय, 7 दिसम्बर, 1944 को शिकागो में हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय से है तथा इसमें शामिल हैं -

(क) अभिसमय के अनुच्छेद 90 की शर्तों के अंतर्गत लागू कोई अनुबंध या कोई संशोधन, जिसके अंतर्गत ऐसे अनुबंध या संशोधन से दोनों पक्ष बाध्य होंगे; और

(ख) अभिसमय के अनुच्छेद 94 (क) के अंतर्गत लागू कोई संशोधन, जिसका पक्षों द्वारा अपने लागू घरेलू कानून के अंतर्गत अनुसमर्थन किया गया है;

"नामित एयरलाइन" का आशय एक या अधिक ऐसी विमान कम्पनी से है जिसे इस करार के अनुच्छेद 3 के अनुसार नामित और प्राधिकृत किया गया हो।

"नियमित उपकरण" से तात्पर्य चल प्रकृति के भण्डारण तथा अतिरिक्त पुर्जो से इतर प्राथमिक उपचार तथा जीवन रक्षक उपकरण सहित उड़ान के दौरान विमान के भीतर प्रयोग के लिए, प्रयोग होने वाली वस्तुओं से है;

"अतिरिक्त पुर्जे" अर्थात विमान में लगाए जाने के लिए मरम्मत या प्रतिस्थापना प्रकृति की वस्तुएं;

"विनिर्दिष्ट मार्ग" से तात्पर्य इस करार के अनुबंध में विनिर्दिष्ट कार्य से है;

"टैरिफ" का अर्थ यात्रियों, बैगेज तथा कार्गो के लिए भारित मूल्यों तथा उन स्थितियों से है जिनके तहत ये मूल्य लागू होते हैं, इसमें एजेंसी तथा अन्य गौण सेवाओं की स्थितियों तथा मूल्य शामिल हैं किन्तु डाक के वहन से संबंधित पारिश्रमिक और स्थितियां शामिल नहीं है;

"राज्य क्षेत्र" का आशय वही है जो अभिसमय के अनुच्छेद 2 में इसके लिए दिया गया है; तथा

"प्रयोक्ता प्रभार" का आशय उस प्रभार से है जिसे हवाईअड्डा, विमान दिक्चालन अथवा विमानन सुरक्षा सुविधाओं अथवा सेवाओं के प्रावधान के लिए एयरलाइनों पर लगाए जाने वाले प्रभार से है जिसमें संबंधित सेवाएं तथा विमानों, उनके कर्मीदल, यात्रियों, सामान तथा कार्गो से संबंधित सुविधाएं सम्मिलित हैं;

अनुच्छेद - दो
अधिकारों की मंजूरी

1. प्रत्येक पक्ष दूसरे पक्ष को इस करार में उपबंधित अधिकार प्रदान करता है ताकि उसकी नामित एयरलाइनें अनुबंध में विनिर्दिष्ट मार्गों पर अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाएं प्रचालित कर सकें ।

2. इस करार के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक पक्ष द्वारा नामित एयरलाइन को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे :-

(क) बिना अवतरण किए इसके राज्यक्षेत्र के ऊपर उड़ान भरने का अधिकार;

(ख) गैर-यातायात प्रयोजनों के लिए इसके राज्यक्षेत्र में रूकने का अधिकार; और

(ग) कोई विनिर्दिष्ट सेवा प्रचालित करते समय यात्रियों, बैगेज, कार्गो तथा डाक के रूप में यातायात को विमान पर लेने और उतारने के प्रयोजन से अन्य पक्ष के राज्यक्षेत्र मे अवतरण करना ।

3. इस करार के अनुच्छेद 3 के अधीन नामित से अलग, प्रत्येक पक्ष की एयरलाइनों को उप-अनुच्छेद (2) (क) और (ख) में निर्दिष्ट अधिकार भी प्राप्त होंगे ।

4. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (2) का अर्थ यह नहीं माना जाएगा कि एक पक्ष की नामित एयरलाइन को अन्य पक्ष के राज्य क्षेत्र में डाक सहित यात्रियों, कार्गो में विमान पर लेने का विशेष अधिकार मिल गया है जिसे अन्य पक्ष के राज्य क्षेत्र में अन्य स्थान के लिए भेजा जा रहा है।

5. यदि विशेष अथवा असामान्य परिस्थितियों के कारण एक पक्ष की नामित एयरलाइन अपने सामान्य मार्ग पर सेवा प्रचालित करने में असमर्थ है तो दूसरा पक्ष दोनों पक्षों द्वारा पारस्परिक रूप से निर्णय किए अनुसार मार्गों के उपयुक्त अस्थाई पुन: प्रबन्ध के जरिए ऐसी सेवा का सतत् प्रचालन सुगम बनाने के लिए अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगा।

6. एक पक्ष की नामित एयरलाइनों को, गैर पक्षपातपूर्ण आधार पर, अन्य पक्ष द्वारा उपलब्ध कराये गये हवाईमार्गों, हवाईअड्डों तथा अन्य सुविधाओं का उपयोग करने का अधिकार होगा ।

अनुच्छेद -तीन
एयरलाइनों का पदनामन तथा प्राधिकार

1. प्रत्येक पक्ष को विनिर्दिष्ट मार्गों पर सहमत सेवाओं के प्रचालन के उद्देश्य के लिए एयरलाइन या एयलाइनों को नामित करने तथा ऐसे नामनों के वापिस लेने या परिवर्तित करने का अधिकार होगा । इस प्रकार के नामित करने की जानकारी लिखित रूप से अन्य पक्ष को राजनयिक माध्यम के द्वारा दी जाएगी तथा इसकी पहचान की जाएगी कि क्या एयरलाइन अन्तरराष्ट्रीय विमान परिवहन के लिए जो अनुबन्ध में दिए गए विमान सेवाओं के प्रकार के अनुरूप प्राधिकृत है।

2. प्रचालन प्राधिकार तथा तकनीकी अनुमति के लिए निर्धारित फार्म तथा तरीके से नामित विमान कम्पनी से इस प्रकार का नामन तथा आवेदन प्राप्त होने पर, अन्य संविदाकारी पक्ष न्यूनतम देरी किये बिना उपयुक्त प्राधिकार तथा अनुमति की स्वीकृति देगी बशर्ते कि:-

(क) उस एयरलाइन का वास्तविक स्वामित्व तथा प्रभावी नियंत्रण नामित एयरलाइन के पास होगा जिसमें एक पक्ष के राष्ट्रिक या दो पक्ष के राष्ट्रिक हो;

(ख) नामित विमान कम्पनी कानूनों, विनियमों तथा नियमों की भांति विमान कम्पनी को पूरा करने में अर्हता प्राप्त है जो आवेदनों/आवेदनों पर विचार करने वाले पक्ष द्वारा अन्तरराष्ट्रीय विमान सेवाओं के प्रचालन के लिए जो सामान्यतया लागू नियमों और विनियमों के अनुरूप हो;

(ग) एयरलाइन को नामित करने वाला पक्ष अनुच्छेद-9 तथा अनुच्छेद-10 में निर्धारित मानकों का रख-रखाव तथा प्रशासन कर रहा हो।

अनुच्छेद - चार
प्रचालनिक प्राधिकार का प्रतिसंहरणश, निलम्बन तथा सीमा

1. दोनों में से कोई भी पक्ष, अन्य पक्ष द्वारा नामित एयरलाइन को प्रदत्त प्रचालन प्राधिकार प्रतिसंहरण अथवा निलम्बन कर सकता है अथवा निम्न में से किसी भी स्थिति में जैसी आवश्यक समझे, शर्तें लगा सकता है:

(क) उस एयरलाइन का वास्तविक स्वामित्व तथा प्रभावी नियंत्रण अन्य पक्ष, अथवा पक्ष के राष्ट्रिकों में निहित नहीं है।

(ख) वह एयरलाइन इस करार के अनुच्छेद-6 में वर्णित कानूनों तथा विनियमों का पालन करने में असफल रहती है;

(ग) अन्य पक्ष इस करार के अनुच्छेद-9 में निर्धारित मानकों का रखरखाव और प्रशासन नहीं कर रही है।

2. जब तक इस अनुच्छेद के पैरा (1) के उप पैराग्राफ (ख) अथवा (ग) के साथ और आगे अतिलंघन को और आगे रोकने के लिए तात्कालिक कार्रवाई करना अनिवार्य न हो इस अनुच्छेद द्वारा स्थापित अधिकारों का निर्वाह अन्य संविदाकारी पक्ष के साथ विचार विमर्श के बाद ही किया जा सकेगा। संविदाकारी पक्षों के बीच ऐसे परामर्श अनुरोध की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर आरंभ किए जाएंगे ।

3. यह अनुच्छेद इस करार के अनुच्छेद-दस (विमानन संरक्षा) के प्रावधानों के अनुसार अन्य संविदाकारी पक्ष की एक एयरलाइन अथवा एयरलाइनों की प्रचालन प्राधिकार अथवा तकनीकी अनुमति पर रोक, प्रति संहरण, सीमा अथवा प्रचालन प्राधिकार पर शर्तें नहीं लगतीं।

अनुच्छेद-पांच
सहमत सेवाओं के प्रचालन को शासित करने वाले सिद्धांत

1. दोनों पक्षों की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) के लिए अपने-अपने राज्य क्षेत्रों के बीच विनिर्दिष्ट मार्गों पर सहमत सेवाएं प्रचालित करने का निष्पक्ष तथा समान अवसर होगा ।

2. प्रत्येक पक्ष की नामित एयरलाइन(एयरलाइनों) द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली क्षमता और प्रचालित की जाने वाली सेवाओं की आवृत्ति पर दोनों पक्षों के बीच सहमति होगी ।

3. किसी भी पक्ष की नामित एयरलाइनों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली क्षमता और प्रचालित की जाने वाली सेवाओं की आवृत्ति में की जाने वाली कोई भी वृद्धि दोनों पक्षों के बीच समझौते के अध्याधीन होगी। ऐसे समझौते अथवा समाधान के लम्बित रहते, पहले से लागू क्षमता तथा आवृत्ति संबंधी पात्रताएं लागू रहेंगी।

अनुच्छेद - छ:
राष्ट्रीय कानूनों की प्रयुक्ति

1. एक संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में प्रवेश करते समय अथवा वहां से प्रस्थान करते समय, विमान के प्रचालन तथा दिक्चालन से संबंधित इसके कानून, विनियम तथा नियमों का एक संविदाकारी पक्ष की एयरलाइनों के साथ अनुपालन किया जाएगा।

2. एक पक्ष के राज्य क्षेत्र में प्रवेश, इसके अन्दर रहने तथा प्रस्थान करते समय, इसके राज्य क्षेत्र से यात्रियों, बैगेज, कर्मीदल, कार्गो अथवा विमान डाक के प्रथम पक्ष के क्षेत्र में (प्रवेश, क्लीयरैंस, विमानन सुरक्षा, इमीग्रेसन, पासपोर्ट, सीमा शुल्क और संगरोध स्वच्छता उपाय अथवा डाक के संबंध में डाक कानून और विनियमों सहित) प्रवेश करने वाले अथवा प्रस्थान करने वाले

से संबंधित इसके कानून और विनियमों का अनुपालन दूसरे पक्ष की नामित एयरलाइनों के ऐसे यात्रियों, कर्मीदल, कार्गो अथवा डाक द्वारा अथवा उनकी ओर से तदनुरूप अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. दोनों में से किसी भी पक्ष के राज्य क्षेत्र में नारकोटिक्स कन्ट्रोल अथवा विशेष परिस्थितियों आदि के प्रति सुरक्षोपाय के अलग प्रत्यक्ष आवागमन करने की स्थिति में विमान यात्री, बैंगेज, कार्गो तथा डाक के लिए इस प्रकार के प्रयोजन हेतु आरक्षित हवाईअड्डे का कोई लीविंग एरिया नहीं होता है और इन पर सामान्य रूप से ही नियंत्रण रखा जाता है ।

4. दोनों में से कोई भी संविदाकारी पक्ष इस अनुच्छेद में प्रदत्त राष्ट्रीय कानूनों को लागू करने में दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कंपनी किसी अन्य एयरलाइन्स अथवा अपनी स्वयं की एयरलाइन्स को कोई प्राथमिकता प्रदान नहीं करेगी ।

अनुच्छेद-सात
प्रयोक्ता प्रभार

1. प्रत्येक पक्ष के सक्षम प्रभारी प्राधिकारियों द्वारा दूसरे पक्ष की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) पर लगाए जा सकने वाले प्रयोक्ता प्रभार न्यायोचित, युक्तिसंगत, गैर पक्षपातपूर्ण तथा सभी श्रेणियों के प्रयोक्ताओं के बीच समान रूप से विभाज्य होंगे। दूसरे पक्ष की नामित एयरलाइनों पर ऐसे प्रयोक्ता प्रभारों का निर्धारण इन प्रभारों का निर्धारण किए जाते समय किसी भी अन्य एयरलाइन के लिए उपलब्ध शर्तों से कम अनुकूल शर्तों पर नहीं किया जा जाएगा।

2. दूसरे पक्ष की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) पर लगाए जाने वाले प्रयोक्ता प्रभारों में उपयुक्त हवाई अड्डा तथा हवाईअड्डे पर अथवा हवाईअड्डा प्रणाली के भीतर पर्यावरण, हवाई दिक्चालन तथा विमानन सुरक्षा संबंधी सुविधाएं तथा सेवाएं उपलब्ध कराने वाले सक्षम प्रभारी प्राधिकारियों को देय पूर्ण लागत शामिल होगी, किन्तु ये प्रभार इस लागत से अधिक नहीं होंगे। इस पूर्ण लागत में अवमूल्यन के पश्चात परिसम्पत्तियों से होने वाली तर्कसंगत आय शामिल की जा सकती है जिन सुविधाओं तथा सेवाओं के लिए प्रभार लिए जाते हैं उन्हें कार्यकुशल तथा किफायती आधार पर उपलब्ध कराया जाएगा।

3. प्रत्येक पक्ष अपने राज्य क्षेत्र में सक्षम प्रभारी प्राधिकारियों तथा सुविधाओं व सेवाओं का उपयोग करने वाली नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) के बीच विचार विमर्श को प्रोत्साहित करेगा। प्रत्येक सक्षम प्रभारी प्राधिकारियों तथा नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) ऐसी सूचना का आदान प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करेगा जो इस अनुच्छेद के पैरा (1) तथा (2) में वर्णित सिद्धान्तों के अनुरूप प्रभारों के न्यायोचित, सटीक तथा पारदर्शी समीक्षा कर सकने के लिए आवश्यक होगी। प्रत्येक पक्ष सक्षम प्रभारी प्राधिकारियों को प्रयोक्त प्रभारों में परिवर्तन के किसी भी प्रस्ताव का औचित्यपूर्ण नोटिस प्रयोक्ताओं को उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित करेगा ताकि प्रयोक्ता इन परिवर्तनों को क्रियान्वित किए जाने से पहले अपने मत व्यक्त कर सकें।

4. किसी भी पक्ष को अनुच्छेद 21 (विवादों का निपटान) के अनुसरण में विवाद निवारण प्रक्रिया में इस अनुच्छेद के किसी प्रावधान का उल्लंघन करने का दोषी नहीं ठहराया जाएगा, यदि:

(i) इसने उस प्रभार अथवा परिपाटी की समीक्षा आरंभ की हो, जो कि एक यथोचित समय सीमा के भीतर दूसरे पक्ष द्वारा शिकायत पर की जा रही हो, तथा

(ii) ऐसी समीक्षा के बाद, एसे किसी भी प्रभार अथवा परिपाटी जो इस अनुच्छेद के अनुरूप न हो, के निवारण के लिए सभी कदम उठाये गए हैं।

अनुच्छेद-आठ
प्रमाणपत्रों तथा लाइसेंसों की मान्यता

1. एक संविदाकारी पक्ष द्वारा जारी अथवा वैध करार दिए गए उड़नयोग्यता प्रमाणपत्र, सक्षमता प्रमाण पत्र तथा किसी लाइसेंस को सहमत सेवाएं प्रचालित करने के उद्देश्य से दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा वैध माना जाएगा:-

(i) बशर्ते कि ऐसे प्रमाणपत्र अथवा लाइसेंस को अभिसमय की शर्तों में स्थापित न्यूनतम मानकों के अनुसरण में तथा अनुरूप जारी किया गया अथवा वैध करार दिया गया हो,

(ii) इसके अतिरिक्त एक और शर्त यह है कि प्रत्येक संवदिाकारी पक्ष के पास किसी अन्य देश द्वारा उसके अपने राष्ट्रिकों को प्रदान किए गए किसी भी सक्षमता प्रमाणपत्र तथा किसी भी लाइसेंस को मान्यता देने से मना करने का अधिकार आरक्षित है।

2. यदि एक संविदाकारी पक्ष द्वारा जारी अथवा वैध करार दिए गए लाइसेंस अथवा प्रमाणपत्र के विशेषाधिकार अथवा शर्तें अभिसमय की शर्तों में स्थापित मानकों से भिन्नता की अनुमति देती हों, चाहे इस भिन्नता को अंतराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन में दायर किया गया हो अथवा नहीं, तो दूसरा संविदाकारी पक्ष पहले संविदाकारी पक्ष के अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, स्वयं को इस प्रकार संतुष्ट करने के उद्देश्य से कि प्रश्नगत परिपाटी इसे स्वीकार्य है, पहले संविदाकारी पक्ष से अनुच्छेद 19 (परामर्श) के अनुसार विचार विमर्श कर अनुरोध कर सकता है।

अनुच्छेद- नौ
विमानन संरक्षा

1. एक संविदाकारी पक्ष किसी भी समय वैमानिकी सेवाओं, हवाई कर्मीदल, विमानों तथा विमानों के प्रचालन के संबंध में दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा अनुरक्षित संरक्षा मानकों के बारे में विचार विमर्श का अनुरोध कर सकता है। ऐसे विचार विमर्श जो दोनों संविदाकारी पक्षों द्वारा सहमत हों, ऐसे अनुरोध की 30 दिन की अवधि के भीतर अथवा इससे अधिक अवधि के भीतर किए जाएंगे।

2. यदि, ऐसे विचार विमर्श के बाद एक संविदाकारी पक्ष को यह पता लगता है कि दूसरा संविदाकारी पक्ष उपरोक्त संदर्भित क्षेत्रों में संरक्षा मानकों का प्रभावी अनुरक्षण तथा प्रशासन नहीं कर रहा है। जो कम से कम अभिसमय के अनुसरण में उस समय स्थापित न्यूनतम मानकों के समान हैं तो पहला संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष को इन निष्कर्षों तथा उन न्यूनतम मानकों के अनुरूप आवश्यक समझे जाने वाले कदमों के बारे में अधिसूचित करेगा।

3. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष के पास दूसरे पक्ष द्वारा 30 दिनों के भीतर उपयुक्त सुधारात्मक कार्रवाई न किए जाने की स्थिति में दूसरे पक्ष द्वारा नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) के प्रचालनिक प्राधिकरण को निरस्त अथवा सीमित करने का अधिकार है।

4. अभिसमय के अनुच्छेद 33 में उल्लिखित बाध्यताओं के बावजूद इस बात पर सहमति है कि एक संविदाकारी पक्ष की नामित एयरलाइन द्वारा प्रचालित कोई विमान, अन्य संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र के लिए अथवा से सेवाओ पर दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्य क्षेत्र के भीतर होने के दौरान उस संविदाकारी पक्ष के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा जांच के अध्यधीन हो सकता है। ऐसी जांच के उद्देश्य में विमान तथा इसके कर्मीदल के दस्तावेजों की वैधता तथा विमान और इसके उपस्करों की स्थिति का सत्यापन (एतदपश्चात रैंप निरीक्षण के रूप में संदर्भित) शामिल होगा, बशर्ते इसके परिणामस्वरूप कोई अनौचित्यपूर्ण विलंब न हो।

5. यदि ऐसा रैम्प निरीक्षण अथवा ऐसे रैम्प निरीक्षणों की इन गंभीर चिन्ताओं को जन्म देती हो कि:-

(क) कोई विमान अथवा किसी विमान के प्रचालन में अभिसमय के अनुसरण में उस समय पर स्थापित न्यूनतम मानकों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, अथवा
(ख) अभिसमय के अनुसरण में उस समय स्थापित संरक्षा मानकों के प्रभावी अनुरक्षण तथा प्रशासन में कमी है,

तो रैम्प निरीक्षण करने वाली संविदाकारी पक्ष, अभिसमय के अनुच्छेद 33 के प्रयोजनार्थ यह निष्कर्ष निकालने के लिए स्वतंत्र होगा कि जिन अपेक्षाओं के तहत उस विमान के संबंध में अथवा उस विमान के कर्मीदल के संबंध में प्रमाण पत्र अथवा लाइसेंस जारी किए गए हैं, अथवा जिन अपेक्षाओं के तहत उस विमान को प्रचालित किया जा रहा है, वे अभिसमय के अनुसरण में स्थापित न्यूनतम मानकों के समान अथवा ऊपर नहीं हैं।

6. ऐसी स्थिति में कि उपरोक्त उप अनुच्छेद 4 के अनुसार एक संविदाकारी पक्ष की नामित एयरलाइन द्वारा प्रचालित विमान का रैंप निरीक्षण किए जाने के उद्देश्य से उस नामित एयरलाइन के प्रविष्टियों द्वारा प्रवेश को मना कर दिया जाता है तो दूसरा संवदिाकारी पक्ष यह परिणाम निकाल सकता है कि उपरोक्त उप अनुच्छेद 5 में संदर्भित श्रेणी की गंभीर चिन्ताएं उत्पन्न हो गई हैं और उस उप अनुच्छेद में संदर्भित निष्कर्ष निकाल सकता है।

7. प्रथम संविदाकारी पक्ष द्वारा यह निष्कर्ष निकाले जाने कि एयरलाइन प्रचालन की संरक्षा के लिए तुरन्त कार्रवाई अनिवार्य है चाहे ऐसा रैम्प निरीक्षण के अथा परामर्श के परिणामस्वरूप हुआ हो तो, प्रत्येक संविदाकारी पक्ष के पास दूसरे संविदाकारी पक्ष की निमित्त एरलाइन के प्रचालनिक प्राधिकरण को तुरन्त निरस्त अथवा परिवर्तित करने का अधिकार आरक्षित होगा।

8. किसी संविदाकारी पक्ष द्वारा इस अनुच्छेद के संरक्षा प्रावधानों का अनुपालन किए जाने पर उपरोक्त उप अनुच्छेद (3) अथवा (7) के अनुसार कोई कार्रवाई की जाएगी।

अनुच्छेद-दस
विमानन सुरक्षा

1. संविदाकारी पक्षों पर बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत अपने-अपने अधिकार तथा बाध्यताओं के अनुरूप, दोनों संविदाकारी पक्ष पुष्टि करते हैं कि उनके पारस्परिक संबंध में गैर कानूनी हस्तक्षेप के कृत्यों के विरूद्ध नागर विमानन की सुरक्षा करने की उनकी बाध्यता इस करार का एक अभिन्न अंग है।

2. अंतरराष्ट्रीय कानून की शर्तों में अपने-अपने अधिकारों तथा बाध्यताओं की व्यापकता को किए बिना तथा लागू अंतर्देशीय कानून के अध्यधीन दोनों संविदाकारी पक्ष विशेष रूप से 14 सितम्बर 1963 को टोक्यो में हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत विमान के भीतर किए गए अपराधों तथ कतिपय अन्य कृत्यों संबंधी अभिसमय, 16 दिसम्बर 1970 को हेग में हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत विमान पर गैर कानूनी कब्जे के दमन संबंधी अभिसमय, 23 दिसम्बर 1971 को मांटियल में हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत नागर विमानन संरक्षा के विरूद्ध गैर कानूनी कृत्यों के दमन तथा 24 फरवरी 1988 को मांट्रियल में किए गए इसके प्रोटोकाल तथा दोनों संविदाकरी पक्षों पर बाध्यकारी नागर विमानन सुरक्षा को शासित करने वाले किसी अन्य बहुपक्षीय करार के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करेंगे।

3. ऐसे विमानों उनके यात्रियों तथा कर्मीदल, हवाईअड्डों तथा हवाई दिक्चालन सुविधाओं के विरूद्ध नागर विमानन के गैरकानूनी कब्जे के कृत्यों तथा नागर विमानन सुरक्षा को किसी अन्य खतरे की रोकथाम के लिए अनुरोध किए जाने पर दोनों संविदाकारी पक्ष एक दूसरे को समस्त आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएंगे।

4. दोनों संविदाकारी पक्ष अपने-अपने पारस्परिक संबंधों में अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन द्वारा स्थापित तथा अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन पर अभिसमय के अनुबंधों के रूप में नामित, विमानन सुरक्षा संबंधी प्रावधानों के अनुरूप इस सीमा तक कार्य करेंगे कि ऐसे सुरक्षा संबंधी प्रावधान दोनों संविदाकारी पक्षों पर लागू हों।

5. दोनों संविदाकारी पक्ष यह अपेक्षा करेंगे कि उनके देश में पंजीकृत विमानों के प्रचालक अथवा वे विमान प्रचालन जिनका प्रधान कारोबार स्थल या स्थायी निवास उन देशों के राज्य क्षेत्रों में है, अथवा उनके अपने-अपने राज्य क्षेत्रों में स्थित हवाई अड्डों के प्रचालन, दोनों

संविदाकारी पक्षों पर यथा अनुप्रयोज्य ऐसे विमानन सुरक्षा संबंधी प्रावधानों के अनुरूप कार्य करेंगे।

6. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष सहमत है कि उसके विमान प्रचालकों से यह अपेक्षित होगा कि वे दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्य क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए उस दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्य क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए विराम के समय अथवा वहां से प्रस्थान करने के लिए उस दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा लागू उप अनुच्छेद (4) में संदर्भित विमानन सुरक्षा प्रावधानों का पालन करेंगे। प्रत्येक संविदाकारी पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि उसके राज्य क्षेत्र के भीतर, विमानों की सुरक्षा के लिए तथा बोर्डिंग अथवा लोडिंग से पहले अथवा के दौरान यात्रियों, कर्मीदल, कैरी आन मदों, बैगेज, कार्गो तथा विमान की भंडार समाग्री के लिए सुरक्षा नियंत्रण लागू करने हेतु पर्याप्त उपायों को प्रभावपूर्ण तरीके से लागू किया जाता है। प्रत्येक संविदाकारी पक्ष नागर विमानन के लिए उत्पन्न किसी विशेष खतरे से निपटने के लिए अपने राज्यक्षेत्र में औचित्यपूर्ण विशेष सुरक्षापायों के लिए दूसरे संविदाकारी पक्ष की ओर से किए गए किसी भी अनुरोध पर सकारात्मक रूप से विचार करेगा।

7. यदि नागरिक विमानों पर गैर कानूनी कब्जे की कोई घटना अथवा ऐसी किसी घटना का खतरा, अथवा ऐसे विमानों इनके यात्रियों तथा कर्मीदल, हवाईअड्डों तथा हवाई दिक्चालन सुविधाओं की संरक्षा के विरूद्ध अन्य गैर कानूनी कृत्य की घटना अथवा घटना का खतरा होता है, तो दोनों संविदाकारी पक्ष, जान माल के न्यूनतम जोखिम के अनुरूप यथा सम्भव तत्परता से ऐसी घटना अथवा खतरे को निरस्त करने के लिए चालू संचार सुविधाएं जुटाकर तथा अन्य उपयुक्त उपाय करके एक दूसरे की सहायता करेंगें।

8. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष यह सुनिश्चित करने के लिए कि गैर कानूनी कबजे के कृत्य अथवा गैर कानूनी हस्ताक्षर के किसी अन्य कृत्य के शिकार दूसरे संविदाकारी पक्ष के विमान को जो उसके राज्य क्षेत्र में खड़ा हुआ है वहीं पर उसे रोककर रखा जाए जब तक कि इसके कर्मीदल तथा यात्रियों की रक्षा के अधिभावी कर्तव्य की वजह से इसका प्रस्थान अनिवार्य न हो गया हो, जहां भी उचित हो दूसरे पक्ष के साथ परामर्श करके ऐसा उपाय करेगा ।

9. यदि एक संविदाकारी पक्ष के पास यह विश्वास करने के लिए औचित्यपूर्ण आधार हैं कि दूसरा संविदाकारी पक्ष इस अनुच्छेद के प्रावधानों से विमुख हो गया है, तो वे पहले संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी के साथ तुरन्त परामर्श का अनुरोध कर सकते हैं। ऐसे अनुरोध की तिथि से पंद्रह दिनों के भीतर कोई संतोषजनक सहमति होने में विफलता की स्थिति में अनुच्छेद 4 के उप अनुच्छेद (1) को लागू करने के आधार बन जायेंगे। यदि आपात स्थिति में अपेक्षित होने पर एक संविदाकारी पक्ष पंद्रह दिनों की समाप्ति से पहले अनुच्छेद 4 के अनुसार कार्रवाई कर सकता है। इस उप अनुच्छेद के अनुसार की गई कोई भी कार्रवाई दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा इस अनुच्छेद के सुरक्षा प्रावधानों का अनुपालन किए जाने पर रोक जाएगी।

अनुच्छेद - 11
सीमा शुल्क तथा प्रभार

1. प्रत्येक पक्ष पारस्परिकता के आधार पर, दूसरे पक्ष की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) को उन विमानों, ईंधन, स्नेहकों, उपभोज्य तकनीकी आपूर्तियों, अतिरिक्त कलपुर्जों जिनमें इंजन, नियमित विमान उपस्कर, विमान भण्डार (जिसमें केवल विमान के प्रचालन अथवा सर्विसेज के संबंध में बिक्री के लिए अथवा उपयोग के लिए प्रयुक्त भोजन, पेय तथा मादक पदार्थ तम्बाकू जैसी मदें शामिल हैं किन्तु इन तक सीमित नहीं है) शामिल हैं, तथा अन्य मदों जैसे मुद्रित टिकट ब्लॉक, एयर वेबिल्स, कोई भी मुद्रित सामग्री जिस पर एक पक्ष की नामित एयरलाइन का चिह्न अंकित हो तथा उस नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) द्वारा प्रभार के बिना वितरित सामान्य विज्ञापन सामग्री जो केवल विमान के प्रचालन अथवा सर्विसेज के संबंध में बिक्री के लिए अथवा उपयोग के संबंध में लागू अपने राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत सीमा शुल्कों, आबकारी करों, निरीक्षण शुल्कों तथा विमान पर लगे अन्य राष्ट्रीय शुल्कों एवं प्रभारों से छूट प्रदान करेगा।

2. इस अनुच्छेद के अधीन छूट पैरा 1 में उल्लिखित मदों पर ही प्रदान की जाएंगी-

(क) दूसरे पक्ष की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) द्वारा अथवा उसकी ओर से एक पक्ष के राज्य-क्षेत्र में विमान में लाई गई मदों;

(ख) दूसरे पक्ष के राज्य-क्षेत्र में आगमन अथवा प्रस्थान करने पर, एक पक्ष की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) के विमान में रखी गई मदों; अथवा

(ग) एक पक्ष की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) के उड़ानगत विमानों के भीतर सहमत सेवाओं को प्रचालित करने में उपयोग हेतु दूसरे पक्ष के राज्य-क्षेत्र में ली गई मदों।

3. इस अनुच्छेद के तहत छूट, तथ्य की अनदेखी किए बिना लागू होगी कि ऐसी मदों का पूर्ण उपयोग अथवा उपभोज्य संविदाकारी पक्ष के राज्य-क्षेत्र के भीतर किया गया हो अथवा न किया गया हो, बशर्त कि उक्त पक्ष के राज्य-क्षेत्र में ऐसी मदों का स्वामित्व हस्तान्तरित न किया गया हो ।

4. किसी भी संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कंपनी (विमान कंपनियों) के विमान में नियमित एयरबोर्न उपस्कर और सामान्यतया विमान में रखी गई सामग्री और सप्लाई को केवल दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्य-क्षेत्र में उस पक्ष के सीमा-शुल्क प्राधिकारियों की अनुमति से ही उतारा जा सकता है । ऐसे किसी मामले में, उन्हें तब तक संबंधित प्राधिकारियों की निगरानी में रखा जा सकेगा जब तक उनका पुन: निर्यात नहीं किया जाता अथवा सीमा-शुल्क विनियमों के अनुसार इनका निपटान नहीं कर दिया जाता ।

अनुच्छेद - 12
वाणिज्यिक सुअवसर

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष की एयरलाइन(एयरलाइनों) को विमान सेवाओं तथा हवाई सेवाओं के प्रावधान के लिए अपेक्षित अन्य अनुषंगी उत्पादों तथा सुविधाओं तथा विमान सेवाओं के प्रोत्साहन तथा बिक्री के लिए दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्य-क्षेत्र में कार्यालय स्थापित करने का अधिकार होगा।

2. प्रत्येक पक्ष की नामित एयरलाइन(एयरलाइनों) को प्रवेश, रिहाईश तथा रोजगार के संबंध में दूसरे संविदाकारी पक्ष के कानूनों विनियमों तथा नियमों के अनुसार, दूसरे पक्ष के राज्य क्षेत्र में प्रबन्धकीय, बिक्री, तकनीकी, प्रचालनात्मक और विमान सेवाओं की व्यवस्था के लिए अपेक्षित अन्य विशेष स्टाफ तथा अन्य अनुषंगी उत्पाद तथा सुविधाओं को राज्य-क्षेत्र के भीतर लाने और उनके रख-रखाव करने का अधिकार होगा । स्टाफ संबंधी ऐसी अपेक्षा को, एयरलाइन के विकल्प पर, किसी भी राष्ट्रीयता वाले अपने स्वयं के कार्मिकों अथवा ऐसे दूसरे पक्ष के राज्य-क्षेत्र में ऐसी सेवाएं निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत तथा दूसरे पक्ष के राज्य-क्षेत्र में प्रचालनरत किसी अन्य एयरलाइन, संगठन अथवा कंपनी की सेवाओं का उपयोग करके पूरा किया जा सकता है।

3. प्रत्येक पक्ष की कोई भी एयरलाइन दूसरे पक्ष के राज्य-क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से तथा, एयरलाइन के विवेकाधिकार पर, अपने एजेंटों के माध्यम से, हवाई सेवाओं तथा अन्य अनुषंगी उत्पादों, सेवाओं तथा सुविधाओं की बिक्री में संलिप्त हो सकती है। इस प्रयोजन के लिए एयरलाइन को अपने स्वयं के परिवहन दस्तावेजों का इस्तेमाल करने का अधिकार होगा, तथा कोई भी व्यक्ति, उस राज्य-क्षेत्र की मुद्रा में अथवा मुक्त विनिमय मुद्राओं में, ऐसे परिवहन का क्रय कर सकता है ।

4. प्रत्येक पक्ष की एयरलाइन (एयरलाइनों) को, मांग किए जाने पर, हवाई पारवहन तथा अन्य अनुषंगी उत्पादों, सेवाओं तथा सुविधाओं के साथ-साथ ऐसे राजस्व पर अर्जित ब्याज (जिसमें अंतरण की प्रतीक्षा में जमा निधियों पर अर्जित ब्याज भी शामिल है) की बिक्री के संबंध में ऐसी एयरलाइनों द्वारा अर्जित स्थानीय रूप से संवितरित राशियों से अधिक स्थानीय राजस्व राशियों को मुक्त रूप से किसी विनिमय मुद्रा में परिवर्तित तथा अंतरित करने का अधिकार होगा। मुद्रा परिवर्तन तथा धन-प्रेषण की अनुमति, उनके संबंध में बिना किसी प्रतिबंध अथवा कराधान के, चालू लेन-देन के लिए लागू विनिमय दर पर तथा एयरलाइन की धन प्रेषण के आरंभिक आवेदन की तारीख को तत्परता से दी जाएगी ।

5. प्रत्येक पक्ष की एयरलाइनों को दूसरे पक्ष के राज्य क्षेत्र में, ईंधन की खरीद करने समेत, स्थानीय व्यय संबंधी भुगतान स्थानीय मुद्रा में करने की अनुमति होगी । अपने विवेकाधिकार पर, प्रत्येक पक्ष की एयरलाइनें दूसरे पक्ष के राज्य क्षेत्र में ऐसे व्यय का भुगतान दूसरे पक्ष के राष्ट्रीय विनियमों के अनुसार मुक्त रूप से विनिमय मुद्राओं में कर सकती हैं ।

6. इस अनुच्छेद में उल्लिखित किसी भी बात के बावजूद, इस अनुच्छेद के तहत अधिकारों का प्रयोग इस करार के प्रयोजनों के अनुसार लागू घरेलू नियमों तथा विनियमों के अनुरूप होगा। यदि एक पक्ष दूसरे पक्ष की नामित विमान कंपनियों द्वारा स्थानीय तौर पर संवितरित राशि से अधिक के स्थानिक राजस्व की राशि के अंतरण पर प्रतिबंध लगाता है, तो दूसरे पक्ष के पास प्रथम पक्ष की नामित विमान कंपनियों पर पारस्परिक आधार पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार होगा ।

अनुच्छेद - 13
टैरिफ

1. प्रत्येक पक्ष की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) द्वारा प्रचालित सहमत सेवाओं के संबंध में टैरिफ का निर्धारण प्रत्येक नामित एयरलाइन द्वारा किया जायेगा। ऐसे टैरिफ बाजार की तर्कसंगत स्थितियों के साथ-साथ प्रचालन लागत तथा औचित्यपूर्ण लाभ सहित सभी संबंधित कारकों को ध्यान में रखते हुए, इसके वाणिज्यिक प्रतिफल पर आधारित हों।

2. पैरा(1) में निर्धारित टैरिफ को एक पक्ष की नामित एयरलाइन(एयरलाइनों) द्वारा दूसरे पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों के पास भेजने की आवश्यकता नहीं होगी।

3. पूर्ववर्ती बातों के बावजूद, प्रत्येक पक्ष को निम्नलिखित मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार होगा :

(क) ऐसे टैरिफ से बचना जिनके लागू करने से प्रतिस्पर्धा-रोधी वातावरण बनता हो अथवा जो किसी प्रतिस्पर्धी को अशक्त बनाता हो या किसी मार्ग से प्रतिस्पर्धी को वर्जित करता हो अथवा ऐसी आशंका हो;
(ख) उपभोक्ताओं को ऐसे टैरिफ से बचाना जो किसी प्रभावी स्थिति की वजह से अतिरेक अथवा प्रतिरोधक बनती हो; और
(ग) एयरलाइनों को ऐसे टैरिफ से बचाना, जो घातक हो अथवा कृत्रिम रूप से कम हो।

4 इस अनुच्छेद के पैरा (3) में दिए गए उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, एक पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी को दूसरे पक्ष की नामित एयरलाइनें टैरिफ निर्धारित करने से संबंधित सूचना प्रदान करेंगी।

5. यदि, कोई पक्ष यह महसूस करता है कि दूसरे पक्ष की नामित एयरलाइन द्वारा लगाया गया टैरिफ उप-अनुच्छेद (3) में निर्धारित प्रतिफल के अनुरूप नहीं है तो वह इस असंतोष को यथाशीघ्र कारणों सहित दूसरे पक्ष को अधिसूचित करेगा, साथ ही इस अनुरोध-पत्र की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर परामर्श के लिए अनुरोध करेगा। यदि दोनों पक्ष नोटिस में व्यक्त असंतोष को लेकर किसी समझौते पर पहुंचते हैं, तो प्रत्येक पक्ष उस समझौते का निर्वाह करने का भरसक प्रयास करेगा। समझौता के होने तक चालू टैरिफ ही लागू रहेगा।

अनुच्छेद - 14

सहकारी विपणन प्रबंध व्यवस्था

1. प्रत्येक पक्ष की नामित एयरलाइन (एयरलाइनें) निम्न एयरलाइनों के साथ मिलकर सहकारी विपणन प्रबंध-व्यवस्था जैसे कोड शेयर, ब्लॉक स्पेस अथवा कोई अन्य संयुक्त उद्यम व्यवस्था संबंधी करार कर सकती हैं:-

(क) उसी पक्ष की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) से; अथवा
(ख) दूसरे पक्ष की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) से; अथवा
(ग) तीसरे देश की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) से ।

2. प्रत्येक पक्ष की नामित एयरलाइन (एयरलाइनें) अपनी अपनी मार्ग अनुसूचियों के अनुरूप अन्य पक्ष के राज्य क्षेत्र के भीतर स्थित स्थानों के बीच थ्रू ट्रैफिक के वहन के लिए अन्य पक्ष की एयरलाइनों के साथ घरेलू कोड शेयरिंग समझौते कर सकती हैं।

3. सहकारी विपणन प्रबंध-व्यवस्था में शामिल प्रचालन एयरलाइन (एयरलाइनों) के पास मार्ग अधिकारों तथा क्षमता हकदारियों सहित अध:स्थ (अंडरलाइंग) यातायात अधिकार होंगे तथा जो ऐसी प्रबंध-व्यवस्था विषयक सामान्यत: लागू अपेक्षाओं को पूरा करेंगी ।

4. सहकारी प्रबंधक-व्यवस्था में शामिल सभी विपणन एयरलाइन (एयरलाइनों) के पास अध:स्थ (अंडरलाइंग) मार्ग अधिकार होंगे तथा जो ऐसी प्रबंध-व्यवस्था विषयक सामान्यत: लागू अपेक्षाओं को पूरा करेंगी ।

5. ऐसी प्रबंध-व्यवस्था के अंतर्गत निष्पादित विमान सेवाओं के जरिए प्रचालित कुल क्षमता की गणना, प्रचालन एयरलाइन (एयरलाइनों) को नामित करने वाले पक्ष की क्षमता हकदारी में से की जाएगी । ऐसी सेवाओं पर विपणन एयरलाइन (एयरलाइनों) द्वारा पेश की गई क्षमता की गणना उस एयरलाइन्स को नामित करने वाले पक्ष की क्षमता हकदारी में से नहीं की जाएगी ।

6. दोनों में से किसी भी पक्ष को नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) को विमानों की संख्या, आकार-प्रकार तथा श्रेणी जैसे प्रतिबंध के बिना कोड शेयर प्रचालन सेवा में शामिल विमानों के बीच ट्रांस्फर ट्रैफिक (अर्थात स्टार बर्स्ट) को वहन करने की अनुमति होगी ।

7. प्रचालन एयरलाइन (एयरलाइनों) के अतिरिक्त, प्रत्येक पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी विपणन एयरलाइन (एयरलाइनों) से अनुमोदन हेतु अनुसूचियां फाइल करने की मांग कर सकते हैं तथा सहकारी विपणन प्रबंध-व्यवस्था के अंतर्गत विमान सेवाएं आरंभ करने से पूर्व कोई अन्य दस्तावेज भी मुहैया कर सकते हैं ।

8. ऐसी प्रबंध-व्यवस्था के अंतर्गत बिक्री संबंधी सेवाओं का प्रस्ताव करते समय, संबंधित एयरलाइन अथवा इसका एजेंट बिक्री के समय खरीदार को यह स्पष्ट करेगा कि कौन-सी एयरलाइन प्रत्येक सेवा सेक्टर पर प्रचालन एयरलाइन होगी तथा खरीदार कौन-सी एयरलाइन (एयरलाइनों) के साथ संविदागत संबंध बनाने जा रहा है ।

9. कोड शेयरिंग सेवाएं मुहैया कराने से पहले, कोड शेयरिंग भागीदार इस बात पर सहमत हों कि कौन-सा पक्ष सुरक्षा, संरक्षा, सुविधा (फेसिलिटेशन), दायित्व तथा यात्रियों से संबंधित अन्य मामलों के लिए उत्तरदायी होगा । ऐसे किसी करार को कोड शेयर प्रबंध-व्यवस्था को कार्यान्वित करने से पहले, दोनों पक्षों के वैमानिक प्राधिकारियों के पास फाइल करना होगा ।

अनुच्छेद 15
इंटर माडल सेवाएं

प्रत्येक पक्ष की नामित एयरलाइन(एयरलाइनों) को यात्री तथा कार्गो के विमान परिवहन के संबंध में दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्य-क्षेत्र में किसी अवतरण-स्थल के लिए या वहां से किसी प्रकार का इंटर-मॉडल परिवहन लगाने की अनुमति होगी। ऐसी एयरलाइन(एयरलाइनें) कोड शेयर सहित अन्य वाहकों के साथ अपने स्वयं के इंटर-माडल परिवहन लगाने या प्रबंध व्यवस्था के जरिए उपलब्ध कराने का विकल्प चुन सकती हैं । इंटर माडल सेवाएं थ्रू सेवा के रूप में तथा विमान व इंटर-माडल परिवहन की संयुक्त सेवा के रूप में एकल मूल्य पर उपलब्ध कराई जा सकती है बशर्ते यात्रियों तथा शिपर्स को ऐसी परिवहन व्यवस्था के संबंध में प्रदाताओं के अनुरूप सूचित किया जाए।

अनुच्छेद - 16
अनुसूचियों का अनुमोदन

1. एक पक्ष की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) अन्य पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों के अनुमोदनार्थ उनके समक्ष तीस (30) दिन अग्रिम रूप से प्रवृत्त सेवाओं की समय सारिणी प्रस्तुत करेंगी जिसमें आवृत्ति, विमानों की श्रेणी और उसकी विस्तृत रूपरेखा विनिर्दिष्ट की गई हो।

2. अनुमोदित समय सारिणी में कोई भी अनुवर्ती परिवर्तन नामित एयरलाइन (एयलाइनों) द्वारा अन्य पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

3. यदि नामित एयरलाइन अनुमोदित समय सारणियों में शामिल उड़ानों की अनुपूरक उड़ानें प्रचालित करने की इच्छुक हो तो वह संबंधित पक्ष के वैमानिक प्राधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त करेगी।

अनुच्छेद - 17
आंकड़े उपलब्ध कराना

1. प्रत्येक पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी दूसरे पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों को उस दूसरे पक्ष के राज्य-क्षेत्र में आने वाली और वहां से जाने वाली सहमत सेवाओं पर प्रत्येक माह के दौरान वाहित यातायात से संबंधित आंकड़े भेजेंगे अथवा अपनी नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) से भिजवाएंगे, जिनमें इस प्रकार के यातायात के चढ़ने और उतरने के अवतरण-स्थलों का उल्लेख किया गया हो । इस प्रकार के आंकड़े प्रत्येक मास की समाप्ति के तुरंत बाद दिये जाएंगे किन्तु यह अवधि उस माह के 30 दिन से अधिक की नहीं होगी जिससे ये संबंधित हैं ।

2. अनुरोध किए जाने पर, प्रत्येक पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी दूसरे पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों को, उस दूसरे पक्ष के राज्य-क्षेत्र के लिए और वहां से वाहित यातायात के वास्तविक उद्गम और गंतव्य से संबंधित आंकड़े उपलब्ध कराएंगे अथवा अपनी नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) से भिजवायेंगे ।

अनुच्छेद-18
बहुपक्षीय करार

1 इस करार के कार्यान्वयन में, दोनों पक्षों को अभिसमय के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करना चाहिए क्योंकि ये प्रावधान अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा पर लागू हैं।

2. इस करार के लागू होने के पश्चात, यदि दोनों पक्ष इस करार में शामिल मामलों का समाधान करने वाले किसी बहुपक्षीय करार का पक्ष बन जाते हैं तो कोई भी पक्ष इस आशय के परामर्श के संबंध में अनुरोध कर सकता है कि क्या बहुपक्षीय करार को ध्यान में रखते हुए इस करार में संशोधन किया जाए।

अनुच्छेद-19
परामर्श

1. प्रत्येक पक्ष किसी भी समय, इस करार के निर्वचन, अनुप्रयोग, कार्यान्वयन अथवा करार में संशोधन अथवा इसके अनुपालन के संबंध में परामर्श के लिए लिखित रूप से अनुरोध कर सकता है।

2. दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष के असहमत होने पर, दूसरे पक्ष द्वारा अनुरोध-पत्र प्राप्त होने की तिथि से 60 दिन के भीतर ऐसे परामर्श प्रारंभ कर दिए जाएं।

अनुच्छेद-20
संशोधन

1. यह करार दोनों पक्षों की लिखित सहमति द्वारा संशोधित किया जाएगा।

2. ऐसी सहमति से हुआ कोई भी संशोधन इस करार के अनुच्छेद 24 के प्रावधानों के अनुसार लागू किया जाएगा।

3. उप-अनुच्छेद (2) के बावजूद, दोनों पक्ष इस करार के अनुबंधों में किसी प्रकार का संशोधन करने के बारे में तत्काल प्रभाव से सहमत हो सकते हैं।

अनुच्छेद - 21
विवादों का निपटान

1. इस करार के तहत उत्पन्न होने वाला किसी प्रकार का विवाद, जिसे औपचारिक परामर्शों से सुलझाया नहीं जा सका हो, दोनों पक्षों की सहमति से किसी व्यक्ति अथवा निकाय को फैसले के लिए भेजा जा सकता है। यदि दोनों पक्ष सहमत नहीं हो पाते हैं, तो विवाद को, किसी भी पक्ष के अनुरोध पर, निम्नानुसार स्थापित प्रक्रियाओं के अनुरूप मध्यस्थ को प्रस्तुत किया जा सकता है ।

2. मध्यस्थता निम्नानुसार गठित तीन मध्यस्थों के एक अभिकरण द्वारा की जाएगी :

(क) मध्यस्थता संबंधी किसी अनुरोध की प्राप्ति के बाद 30 दिन के भीतर-भीतर, प्रत्येक पक्ष किसी मध्यस्थ का नाम बताएगा । इन दोनों मध्यस्थों का नाम आने के बाद 60 दिन के भीतर-भीतर, वे सहमति से एक तीसरे मध्यस्थ को नियुक्त करेंगे जो मध्यस्थता अभिकरण के अध्यक्ष के रूप में काम करेगा;

(ख) यदि कोई भी पक्ष किसी मध्यस्थ का नाम बताने में विफल रहता है, अथवा इस उप-अनुच्छेद 2(क) के अनुरूप तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति नहीं होती है, तो कोई भी पक्ष 30 दिन के भीतर-भीतर आवश्यक मध्यस्थ अथवा मध्यस्थों की नियुक्ति के लिए अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन की परिषद के अध्यक्ष से अनुरोध कर सकता है। यदि परिषद का अध्यक्ष दोनों पक्षों में से किसी पक्ष की राष्ट्रीयता वाला है, तो वरिष्ठतम उपाध्यक्ष जो इस आधार पर अयोग्य न हो, यह नियुक्ति करेगा । अध्यक्ष अथवा वरिष्ठतम पात्र उपाध्यक्ष दोनों में से किसी एक पक्ष द्वारा इस पैरा के अंतर्गत तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति किए जाने की स्थिति में, उस तीसरे मध्यस्थ की राष्ट्रीयता किसी भी पक्ष की राष्ट्रीयता से भिन्न होगी ।

3. अन्यथा सहमति होने की स्थिति को छोड़कर, मध्यस्थ अभिकरण इस करार के अनुरूप अपने अधिकार क्षेत्र की सीमाएं निर्धारित करेगा और अपने प्रक्रियागत नियम स्थापित करेगा। एक बार गठित हो जाने के बाद, यह अभिकरण अपना अन्तिम निर्णय देने तक अंतरिम राहत उपायों की अनुशंसा कर सकता है। अभिकरण के निदेश अथवा किसी भी पक्ष के अनुरोध पर, अभिकरण के पूरी तरह गठित हो जाने के बाद पंद्रह (15) दिन के भीतर-भीतर मध्यस्थता संबंधी निश्चित मुद्दों तथा अनुसरित की जाने वाली विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं का निर्धारण करने के बारे में एक बैठक की जाएगी।

4. अन्यथा सहमति होने अथवा अभिकरण द्वारा यथा निर्देशित होने की स्थिति को छोड़कर, प्रत्येक पक्ष अभिकरण के पूरी तरह गठित होने के 45 दिन के भीतर-भीतर ज्ञापन प्रस्तुत करेगा। 60 दिन बाद उत्तर अपेक्षित होंगे। अभिकरण किसी भी पक्ष के अनुरोध पर अथवा अपनी स्वयं की पहल पर उत्तरों की नियत तारीख के बाद 15 दिन के भीतर एक सुनवाई करेगा।

5. अभिकरण सुनवाई के पूरा होने के 30 दिन के भीतर-भीतर, अथवा यदि कोई सुनवाई न हुई हो, तो दोनों पक्षों के उत्तर प्रस्तुत किए जाने के बाद, एक लिखित निर्णय देगा। अभिकरण के बहुमत का निर्णय मान्य होगा।

6. दोनों में से कोई भी पक्ष निर्णय दिए जाने के बाद, 15 दिन के भीतर-भीतर निर्णय के स्पष्टीकरण के संबंध में अनुरोध कर सकते हैं तथा दिया गया कोई भी स्पष्टीकरण ऐसे अनुरोध के 15 दिन के भीतर-भीतर जारी किया जाना होगा।

7. प्रत्येक पक्ष, अपने-अपने राष्ट्रीय कानून के अनुरूप सीमा तक मध्यस्थ अभिकरण के किसी भी निर्णय अथवा अवार्ड को पूर्ण रूप से प्रभावी करेगा।

8. मध्यस्थ अभिकरण पर हुए व्यय को, जिनमें मध्यस्थों के शुल्क तथा खर्चे शामिल हैं, दोनों पक्षों द्वारा समान रूप से वहन करना होगा। इस अनुच्छेद के उप-अनुच्छेद (2)(ख) की प्रक्रियाओं के संबंध में अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन की परिषद के अध्यक्ष द्वारा किए गए किसी भी व्यय को मध्यस्थ अभिकरण पर हुए व्यय का भाग माना जाएगा।

अनुच्छेद - 22
इकाओ में पंजीकरण

यह करार तथा इसके सभी संशोधनों को हस्ताक्षर सहित अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के पास पंजीकृत कराना होगा।

अनुच्छेद - 23
समाप्त करना

1. कोई भी पक्ष किसी भी समय करार समाप्त करने के अपने निर्णय के बारे में लिखित नोटिस दूसरे पक्ष को दे सकता है। ऐसा ही नोटिस उसी समय अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन को भी भेजना होगा। दूसरे पक्ष द्वारा ऐसी सूचना के प्राप्त होने की तिथि से एक वर्ष की समयावधि के तुरंत बाद समाप्त हो जाएगा, यदि इस अवधि के समाप्त होने से पहले करार के दोनों पक्षों द्वारा नोटिस वापस नहीं ले लिया जाता।

2. दूसरे पक्ष द्वारा प्राप्त सूचना की पावती न मिलने पर यह माना जाएगा कि इस नोटिस की सूचना अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन को प्राप्त सूचना के चौदह दिन बाद की तिथि को प्राप्त हो गई है।

अनुच्छेद - 24
लागू होना

यह करार, दोनों पक्षों के बीच राजनयिक नोट्स के आदान-प्रदान के बाद, लागू होगा, जिसमें यह पुष्टि की गई हो कि प्रत्येक पक्ष ने इस करार तथा इसके अनुबंधों के लागू होने के लिए आवश्यक आंतरिक प्रक्रियाएं पूरी कर ली हैं। अंतिम अधिसूचना की तारीख से यह लागू समझा जाए।

जिसके साक्ष्य में अधोहस्ताक्षरियों ने, अपनी-अपनी सरकारों द्वारा विधिवत प्राधिकृत हो जाने पर, इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं तथा इसे हिंदी और अंग्रेजी में, जो प्रामाणिक पाठ होगा दो मूल प्रतियों में निष्पादित किया गया। अन्य भाषाओं में करार का स्वरूप भी इतना ही प्रामाणिक होगा । निर्वचन से संबंधित किसी भी मतभेद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा ।

दिनांक -4 जून, 2010 को नई दिल्ली पर यह करार किया गया।

कृते दक्षिण अफ्रीका गणराज्य की सरकार	कृते भारत गणराज्य की सरकार
(सिबूसिसो डेबले) परिवहन मंत्री	(श्रीमती प्रनीत कौर) विदेश राज्य मंत्री